



## राजस्थान सरकार

### स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर



जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

Telex : 0141-2993119 Email ID : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website : www.irgyurban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.56(क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2024-25/5629-5868

दिनांक :- 22/05/2024

आयुक्त/अधिसाषी अधिकारी,  
नगर निगम/परिषद्/पालिका।  
समस्त राजस्थान।

**विषय:-**नगरीय निकाय क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं "शहरी वन क्षेत्र" स्थापित करने बाबत।

**सन्दर्भ:-**मुख्य सचिव महोदय द्वारा SOM बैठक में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वन विभाग द्वारा नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के लिए वृक्षारोपण के निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध अपेक्षाकृत वृक्षारोपण का कार्य कम किया गया है तथा लगाये गये पौधों का रख-रखाव एवं सुरक्षा कार्य भी उचित प्रकार से नहीं किया गया है।

उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि समस्त नगरीय निकाय वृक्षारोपण एवं शहरी वन क्षेत्र स्थापित करने हेतु टाइमलाईन निर्धारित कर संचालित विभागीय योजनाओं अथवा स्वयं के संसाधनों से कार्य-योजना बनाकर वृक्षारोपण का कार्य संपादित करवाया जाना सुनिश्चित करावें तथा पूर्व विभागीय आदेशानुसार शहरी क्षेत्र में कार्यरत अन्य विभाग/एजेंसी यथा वन विभाग, नगरीय विकास विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं आवासन मण्डल के माध्यम से भी वृक्षारोपण के कार्य करावें।

"शहरी वन क्षेत्र" स्थापित करने के लिए सघन वृक्षारोपण हेतु आवश्यक कार्यवाही बाबत वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर, प्राप्त सुझाव अनुसार कम जल उपयोग वाले स्थानीय प्रजाति के पौधे लगाते हुए निम्नानुसार प्रत्येक नगरीय निकाय में शहरी वन क्षेत्र स्थापित किया जाना सुनिश्चित करावें:-

क्र.सं.	नगरीय निकाय	आवंटित शहरी वन क्षेत्र (प्रत्येक 500 वर्गमीटर से अधिक)
1.	प्रत्येक नगर निगम	न्यूनतम 05 शहरी वन क्षेत्र
2.	प्रत्येक नगर परिषद्	न्यूनतम 04 शहरी वन क्षेत्र
3.	प्रत्येक नगर पालिका	न्यूनतम 02 शहरी वन क्षेत्र

वृक्षारोपण एवं "शहरी वन क्षेत्र" स्थापित करने हेतु निम्नलिखित टाइमलाईन अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें:-

क्र. सं.	गतिविधि	प्रस्तावित टाइमलाईन
1.	स्थल चयन कर तकमीना तैयार करने का कार्य (कार्य स्थल तैयार करने, पौधारोपण हेतु भूमि तैयार करने एवं गड्ढे खोदने का कार्य, कम्पोस्ट/जैविक खाद डालने का कार्य, आवश्यकतानुसार वन विभाग से पौधे क्रय करने, पौधों का सुरक्षित परिवहन करने, पौधे लगाने एवं 03 वर्ष तक रख-रखाव का कार्य जैसे पौधों में पानी देने एवं अन्य सामग्री क्रय करना, घास एवं खरपतवार की निराई-गुड़ाई, खाद एवं कीटनाशक का प्रयोग एवं पौधों की सुरक्षा का प्रावधान सम्मिलित करते हुए)	04 जून, 2024 तक
2.	सक्षम स्तर से कार्य/कार्यों का अनुमोदन	लोकसभा आम चुनाव-2024 की आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात 15 जून, 2024 तक
3.	पौधारोपण हेतु कार्यस्थल की सफाई, मिट्टी की खुदाई आदि आवश्यक	16 जून, 2024 से प्रारम्भ

RajKaj Ref  
7384689



	कार्य, वन विभाग से आवश्यकता अनुसार पौधारोपण हेतु पौधे क्रय किया जाने का कार्य तथा बाड़ वायरफेन्सिंग आदि के द्वारा सघन वृक्षारोपण क्षेत्र को सुरक्षित करना।	होकर 30 जून, 2024 तक
4.	पौधारोपण का कार्य प्रारम्भ किया जाना एवं 03 वर्ष हेतु लगाये गये पौधों का रख-रखाव एवं सुरक्षा का कार्य।	01 जुलाई, 2024 से प्रारंभ

उपरोक्त वृक्षारोपण कार्यों की सतत् मॉनिटरिंग हेतु जिला स्तर के नोडल नगर निगम/परिषद् में पदस्थापित अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता (पर्यावरण) एवं उद्यानविज्ञ (जहां पदस्थापित हो) द्वारा नियमित रूप से जिले की समस्त नगरीय निकायों में उक्त कार्यों का निरीक्षण तथा पौधों की देखरेख कार्य की प्रगति की जिला स्तर पर समीक्षा सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि संभाग स्तर पर निकायों के वृक्षारोपण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट संबंधित जिला नोडल नगरीय निकाय से प्राप्त कर एवं संकलित कर निदेशालय को प्रतिमाह की 02 तारीख को प्रेषित करावें।

अतः निर्देशित किया जाता है कि विभाग द्वारा जारी टाइमलाईन अनुसार वृक्षारोपण एवं शहरी वन क्षेत्र स्थापित करने का कार्य संपादित करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(श्याम सिंह)  
निदेशक

दिनांक:- 22/05/2024

क्रमांक:एफ.56(क)0सीई/डीएलबी/IRGY/2024-25/5869-6012  
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास/आयोजना), राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, (समस्त) राजस्थान।
8. निजी सचिव, आयुक्त, आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान।
11. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
13. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
14. आयुक्त, जिला नोडल नगरीय निकाय का निर्देशित किया जाता है कि पौधारोपण एवं शहरी वन क्षेत्र स्थापित करने हेतु प्रतिमाह प्रगति रिपोर्ट संबंधित उपनिदेशक (क्षेत्रीय) कार्यालय को उपलब्ध करावें।
15. सुरक्षित पत्रावली।

(मनोज कुमार सोनी)  
मुख्य अभियंता

RajKaj Ref  
7384689

Document certified by SHYAM SINGH SHEKHAWAT  
<SHYAMSSHEKHAWAT111@GMAIL.COM>

Digitally Signed by SHYAM  
SINGH SHEKHAWAT  
Designation: Director  
Date :22-05-2024 08:34:57



290524029

कार्यालय प्रमुख शासन सचिव  
नगरपालिका विकास एवं आवासन विभाग  
क्रमांक 4663  
दिनांक 28/05/24

राजस्थान सरकार  
वन विभाग

कार्यालय शासन सचिव  
स्वायत्त शासन विभाग  
राजस्थान शासन सचिव  
दिनांक...

5887 DLB/PS-IIII  
28/5/24  
27/5/24

क्रमांक F.21(2)2024-25/TOFiR/Dev./PCCF/Part\_File

जयपुर, दिनांक: 24.05.24

विषय: "Tree Outside Forests in Rajasthan"

वन विभाग द्वारा गैर वन भूमियों पर वृक्षारोपण हेतु पौधे तैयार करने का एक बड़ा कार्यक्रम " Tree Outside Forests in Rajasthan" के तहत वर्ष 2024-25 में राज्य में 4 करोड़ पौधे वितरित किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए कुल 4 करोड़ पौधों में से 1 करोड़ पौधे शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में संलग्न परिशिष्ट में जिलावार पौधों की संख्या अंकित की गई है, जिन्हें शहरी क्षेत्र में लगाया जाना प्रस्तावित है।

विभाग द्वारा आपकी सुविधा के लिए इस 1 करोड़ पौधों के लक्ष्य को संस्थावार वितरित कर दिया गया है, जिसका विवरण सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न कर भेजा जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया संबंधित संस्था प्रमुखों को इस आशय के आदेश जारी करे कि वे इन पौधों को लगाने हेतु जगह इत्यादि चिन्हित करें जहां वन विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे इन पौधों को इन संस्थाओं द्वारा लगाया जा सके।

कृपया इस संबंध में भूमि चिन्हीकरण की कार्यवाही पूर्ण कर इस संबंध में जिला स्तर पर संकलित करने एवं की गई कार्यवाही से आपको एवं इस विभाग को 2024 तक अवगत करवाने का निर्देश जारी कराएं।

Digitally signed by Mohali Sen  
Designation : Special Secretary To  
Government  
Date: 2024.05.24 15:40:28 IST

वन विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले पौधों का विवरण संलग्न परिशिष्ट में उपलब्ध करवाए जाएंगे:-

क्र. सं.	विवरण	दर प्रति पौधा (रुपये में)
1	काँटेदार प्रजाति के पौधे	5.00
2	छायादार एवं चौड़ी पत्ती वाले पौधे	
	एक वर्ष तक के पौधे :-	
	• 2 फीट की ऊँचाई तक के पौधे	6.00
	• 2 फीट से ऊपर एवं 3 फीट की ऊँचाई तक के पौधे	10.00
	एक वर्ष से दो वर्ष तक के पौधे :-	
	• 3 फीट से ऊपर एवं 5 फीट की ऊँचाई तक के पौधे (बड़ी थैलियों में)	15.00
	• 5 फीट से ऊपर एवं 8 फीट की ऊँचाई तक के पौधे (बड़ी थैलियों में)	25.00

RajKaj Ref  
6923766





**दो वर्ष से अधिक के पौधे :-**

• 8 फीट से ऊपर एवं 10 फीट की ऊँचाई तक के पौधे (बड़ी थैलियों में)	50.00
• 10 फीट से ऊपर की ऊँचाई पौधे	75.00

1. ये दरें व्यक्तियों/निजी संस्थाओं, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं कृषकों के लिए एक समान ही रखी जाये।
2. राजकीय भूमि/सार्वजनिक भूमि/संस्थागत भूमि पर वृक्षारोपण करने के लिए इच्छुक राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभागों/राजकीय उपक्रम को 50 प्रतिशत रियायती दर पर उपलब्ध कराये जायेंगे।
3. राजकीय विभागों, राजकीय शैक्षणिक संस्थाओं, भारतीय स्कॉउट एवं गाईड, एन.सी.सी. द्वारा यदि वन महोत्सव आयोजित कर वृक्षारोपण कार्यक्रम करने हेतु पौधों को क्रय करने का प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है तो उक्त प्रस्ताव का तथ्यात्मक/कार्यस्थल का भौतिक परीक्षण करने के पश्चात् एक रुपये प्रति पौधे की दर से अधिकतम 1000 पौधे तक प्रति वनमण्डल उपलब्ध कराये जा सकेंगे।
4. अन्य गैर सरकारी संस्थाएं/ग्राम पंचायतें/नगर निकाय/स्वयं सेवी संस्थाएं/अन्य संस्थाओं इत्यादि को छूट :-

50001 से अधिक पौधों पर 20% की छूट होगी। (यह छूट 50000 पौधों के अतिरिक्त पौधों पर ही लागू होगी)

संबंधित संस्थाओं से तदनुसार यह अपेक्षित होगा कि वह वन विभाग से लिए जाने वाले पौधों के पेटे भुगतान कर इन पौधों को लगाए एवं इनका अच्छी तरह से संरक्षण सुनिश्चित करें।

कृपया इस संबंध में प्रगति की आप अपने स्तर से समय-समय पर समीक्षा करना भी सुनिश्चित करें।

**संलग्न:- उपरोक्तानुसार**

Digitally signed by Monaali Sen  
Designation : Special Secretary To  
Government  
Date: 2024.05.24 15:40:28 IST  
Reason: Approved

(मोनाली सेन )  
विशिष्ट शासन सचिव

प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग  
एवं स्वायत्त शासन विभाग

अशा.टीप कमांक: F.21(2)2024-25/TOFiR/Dev./PCCF/Part\_File

जयपुर, दिनांक : 24.05.24

प्रतिलिपि:- प्रधानु मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ।

विशिष्ट शासन सचिव

RajKaj Ref  
6923766